



BY. REGD. A.D. POST

THE High Court of Judicature at Jabalpur: Bench at Indore

Process Id: 62272/2015

WP/6256/2015

From

Deputy Registrar, **High Court of Judicature** at Indore

Fixed for 14-01-2016 WP-DA-4

Respondent No. 1

To.

wiantralaya Vallabh Bhawan,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Indore 29-09-2015

Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 6256/2015

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one Narendra Singh Rawat has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/6256/2015

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 14-01-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

16.11.1 Rich: Copy of Petition

ENFFIXED AT

DEPUTY REGISTRAR

Your's faithfully

Sunday 27 September 2015 09:38 AM

MATHERION BLE HIGH COURT OF M.P. JABAH PHA PETITIONER: National Singly Rawat Slo Shri Yoran Rawat. Versus RESPONDENTS: WIRIT PETITION UNDER ART. 226 OF THE 1. State of M.P. COMSTITUTION OF INDIA. Through Principal Secretary 4. PARTCHIARS OF THE CAUSE ORDER AGAINST WHICH Tribal Development Department. Manualaya Vallabh Bhawan BHOPAL IMP Commissioner Tribal Development Department. THIS PETITION IS MADE. The Date of Order | Monthication Circular Policy Decision etc... 02.06.2015 [PI3] & 22.08.2015 [PIT]. Al Passed In Icase or File Mumbert :- FADS/2015/25/11 (PIS) & Shiksharstha DO15H1351 (PIT). By Passed by I Name and designation of the County Authority Tribunal etc. J.: Impugned order Annex. Pl. has been passed by the Respondent no. 1 & PIT by the

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास

कमांक / स्था07 / बी / 8663 / 2015 / 27 | 75

याचिका प्रकरण कमांक डब्ल्यू0पी0 6256/15 श्री नरेन्द्र सिंह रावत, प्राचार्य, जिला अलीराजपुर विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य ।

मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 4/196/2001/25/1 दिनांक 01.06.2001 द्वारा प्रत्यारोपित अधिकारों के तहत् सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक-5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास अलीराजपूर *(म०प्र०) को (पक्षकारों के नाम <u>कप</u>र* वर्णित) मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने के लिये आवेदन करने और उपसंजात होने के लिये नियक्त करते है । प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियक्ति के तरत पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिनके न्यौरे नीचे दिये गये हैं निम्नलिखित कार्य करेगा :-

प्रभारी अधिकारी प्रकरण के तथ्यों के बारे में तूरन्त ऐसी जांच करेगा जैसी कि आवश्यक हो और याचिका[ं] में उठाये गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि प्रकरण के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा । यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जावेगी ।

समस्त स्सगत फाइले, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाए तथा आदेश एकत्रित करेगा ।

- वाद पत्र / याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की समावना है एक रिपोर्ट तैयार करेगा
- उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साध सासकीय अभिभाषक से संपर्क करेगा ।
- शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन / उत्तर तैयार करवाएगा । प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कामज पत्र मेंजेंगे :-
 - क्ष्याक पत्र की एक जिले के बाध अस्तत की एक रिपोर्ट ।
 - प्रस्तावित निम्न कथन का एक प्रारूप ।
 - उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिन्हें प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है !
 - प्रकरण के विश्वद्वीकरण के लिये आवश्यक कामज पत्रों की प्रतियां इसमे वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये ।

प्रकरण की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिववता का सहयोग करना और नामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों में स्वयं को सदैव अवगत रखना ।

- जब भी कोई आदेश / निर्णय विशिष्टतयाः मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया गया, तब विधि विभाग को सुचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस में आवेदन
- अपनी रिपोर्ट के साथ निर्णय / आदेश की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिये इस विभाग को भेजेंगे ।
- यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी स्चना देने में समय नष्ट नहीं हो ।
- जैसे ही उसे अपना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी 11. देगा। यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर दिया जाये ।

प्रभारी अधिकारी प्रकरण तैयार करने में श्रासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के अनर रत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित / छुपी हुई नहीं रह जाये।

प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से शासन को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी

प्रभारी अधिकारी, या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों 14. में जहां किसी वाद के प्रक्रम में पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का प्नरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति, जैसे ही वह पारित किया जाये विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ शासन (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।

प्रभारी अधिकारी मामले में उच्च / उच्चतम् न्यायालय के समक्ष अपील / रिवीजन प्रस्तुत करने के लिये भी अधिकृत होगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह प्रयास करें की उस पर अपील रिवीजन प्रस्तुत करने की अनुमति मिल जाये और निर्धारित (निहीत) अवधि में अपील / रिवीजन प्रस्तुत हो जावे ।

पृष्ठांकन/स्था.7/बी/8663/2015/27/7/ प्र<u>तिलिपिः</u>—

अतिरिक्तं महाधिवक्ता बैंच इन्दौर म0प्र0 |

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण क्याग, भोपाल म०प्र०।

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल मुक्रा ।

कलेक्टर,अलीराजपुर म०प्र०।

समागीय उपायुक्त / नोडल अधिकारी (बिधि-प्रकोष्ट), आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास, इन्दौर म०प्र०।

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास अलीराजपुर (म०प्र०) प्रभारी अधिकारी की ओर अधेषित। साथ ही शासकीय अधिवब्ली से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा 'अपनी प्रत्येक भेंड (विजिट)पर शासकीय अधिबक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और प्रक्रेरण से अपनी प्रगति रिपोट के साथ उसे उसके विभागाध्यक्ष को भेजने हेत् अग्रेषित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजनी चाहिय। वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाये। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय के समक्ष विधि एवं नियमों के साथ तथ्यसंगत पूरी स्थिति रखें । मामले में स्थगन आदेश हो तो सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर स्थान हटाने की प्रभारी कार्यवाही सुनिश्चित करें । मामले में प्रस्तुत वादोत्तर की प्रति तत्काल शासन एवं इस कार्यालय की उपलब्ध करावें ।

प्रभारी अधिकारी शिक्षा स्थापना शाखा, मुख्यालय भोपाल, म०प्र० की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत।